(23)

संख्या. शिक्षा–11–छ (5)–2/2009–लूज
हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभाग

प्रेषक

प्रधान सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

निदेशक, उच्चतर शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश शिमला– 171001.

दिनांक : शिमला– 171002. 21 –04–2011.

विषयः– राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च पाठशालाओं को स्तरोन्नत करने हेतू संशोधित मापदण्ड़ों के निधार्रण बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 2/12/2010 के अनुक्रम में अव यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला से राजकीय उच्च पाठशाला के स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिये सम्बन्धित राजकीय माध्यमिक पाठशाला में आठवीं कक्षा में बच्चों की संख्या कम से कम 40 हों तथा पास की राजकीय उच्च पाठशाला की दूरी कम से कम 3 कि0 मी0 हो।

इसी तरह राजकीय उच्च पाठशाला से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिये सम्बन्धित राजकीय उच्च पाठशाला में दसवीं कक्षा में बच्चों की संख्या कम से कम 60 हों तथा पास की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की दूरी कम से कम 5 कि0 मी0 हो ।

अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में राजकीय माध्यमिक तथा राजकीय उच्च पाठशालाओं को स्तरोन्नत करने से पूर्व उपरोक्त अनुसार के मामलों का परीक्षण करने की कृपा करें तथा तदानुसार रिपोर्ट/सिफारिश सरकार को भेजी जाये।

भवदीय,

Sd/-
विशेष सचिव (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः शिक्षा–11–छ (5)–2/2009–लूज. दिनांकः 21–04–2011.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हि0 प्र0 शिमला–171001.
2. विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन हि0 प्र0 सरकार, शिमला–171002 को मन्त्रिमण्डल द्वारा दिनांक 25/11/2010 को मद संख्या 12 के सन्दर्भ में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।
3. उपसचिव, वित विभाग(विनियम) हि0 प्र0 सरकार, शिमला–2.
4. गार्ड फाईल।

Sd/-
विशेष सचिव (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

....